न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-120RAAJodhpur2022-71RTA225 Khetaram ors Vs Narayanram etc

01. खेताराम पुत्र डुंगरराम
02. राणाराम पुत्र डुंगरराम
03. खेताराम पुत्र लादाराम
04. अंचलाराम पुत्र लादाराम
05. भूराराम पुत्र रुगाराम
06. चुनाराम पुत्र रुगाराम
    जातियान् जाट, निवासी- ग्राम लुम्बानसर तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. नारायणराम पुत्र राणाराम, जाति जाट, निवासी- लुम्बानसर, तहसील शेरगढ, जिला जाधपुर।
   परफोर्मा पक्षकार
2. आदुराम पुत्र पन्नाराम
3. दुर्गाराम पुत्र पन्नाराम
4. अनोपाराम पुत्र पन्नाराम
5. फतुदेवी पत्नी पन्नाराम
6. पदमाराम पुत्र राणाराम
   सभी जातियान् जाट, निवासीगण- लुम्बानसर, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 24 मार्च 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 21/2017 नारायणराम बनाम खेताराम इत्यादि

उपस्थित-

30.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

श्री रूघाराम चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री पुष्पेन्द्रसिं ननेउ अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक
श्री अजीत दैया, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या चार
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता- रेस्पो. संख्या सात

नि र्ण य

दिनांक : 30 जनवरी 2024

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 21/2017 नारायणराम बनाम खेताराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 24 मार्च 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 30 मार्च 2022 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 740/3 रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा ग्राम लुम्बानसर तहसील शेरगढ में आने-जाने हेतु अपीलांट्स/अप्रार्थीगण के खातेदारी खसरा नं. 779, 770, 740 व 740/2 में से प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे अनुसार मार्क ए से बी 30 फीट चौड़ा रास्ता चाहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं तहसीलदार शेरगढ से मौका रिपोर्ट तलब करने के निर्देश दिये गये। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी के कथनों का खण्डन कर प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 24 मार्च 2022 के जरिये <u>प्रार्थी/रेस्पो</u> संख्या एक का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

30.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण के जवाब का अवलोकन किये बिना तथा मौका जांच रिपोर्ट पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन रास्ता प्रदान किया गया है। प्रार्थी एवं प्रार्थी के सहखातेदारान् द्वारा किये गये आपसी बंटवाड़ा के दौरान खसरा नं. 740 एवं 748 में आने जाने के लिए रास्ता रखा गया। राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज है। मौका फर्द दिनांक 04.03.2022 में स्पष्ट किया हुआ है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है, किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। प्रार्थी एवं प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी की भूमि का आपसी बंटवाड़ा का दस्तावेज विचारण न्यायालय की पत्रावली पर मौजूद था, जिसमें उक्त खसरान् में पक्षकारान् के आवागमन हेतु रास्ता आपसी सहमति से छोड़ा गया है, किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दस्तावेज का अवलोकन किये बिना ही आलौच्य आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के आलौच्य आदेश से अपीलांट्स की भूमि दो टुकड़ों में बंट जायेगी, जबकि धारा 251 के प्रावधानों के अनुसार खेत के दो टुकड़े नहीं होने चाहिए। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधिक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण काबिल खारिज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्तियों एवं जवाब प्रार्थना पत्र पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि जवाब में उठाये गये उज्र एतजराज बिंदुओं का निस्तारण करना आवश्यक होता है, किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं किया गया।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांक 24 मार्च 2022 को निरस्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी संख्या

30.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

एक के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को खारिज फरमाया जावे।

जबाब में अधिवक्तागण रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संपूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए मौका रिपोर्ट एवं साक्ष्य सबूतों के आधार पर मौके की स्थिति के अनुसार निकटतम एवं लघुतम रास्ते का आदेश पारित किया है। वैकल्पिक रास्ते के बजाय अपीलाधीन रास्ता ही रेस्पोडेंट संख्या एक/प्रार्थी के आवागमन हेतु निकटतम एवं लघुतम रास्ता है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स द्वारा भी विचारण न्यायालय के समक्ष अपने खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु रेस्पो. की खातेदारी भूमि में से रास्ता चाहा गया। विचारण न्यायालय द्वारा दोनो प्रार्थना पत्रों को समेकित करते हुए अपीलांट्स को भी अपीलाधीन आदेश के जरिये रास्ता प्रदान किया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक रेस्पोडेंट संख्या एक व अपीलांट संख्या तीन से छः द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष पृथक-पृथक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने-अपने खातेदारी खसरान् की भूमि के लिए रास्ता चाहा है, जिन्हे विचारण न्यायालय द्वारा समेकित करते हुए अपीलाधीन आदेश के जरिये स्वीकार कर अपीलांट संख्या एक से तीन के खातेदारी खेत खसरा नं. 770 में आवागमन हेतु खसरा नं. 740/4 एवं खसरा नं. 748/2 में से रास्ता प्रदान किया गया है।

30.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम लुम्बानसर की जमाबंदी के खाता संख्या 41 में दर्ज भूमि खसरा नं. 717, 732, 740, एवं 748 के खातेदारान् द्वारा आपसी सहमति से किये गये बंटवाड़े प्रति एवं मौका फर्द दिनांक 04.03.2022 के मुताबिक खसरा नं. 740 एवं 748 के खातेदारान् द्वारा वक्त विभाजन खसरा नं. 740 एवं 748 की माठ-माठ रास्ते की भूमि छोड़ी गई है जो कि खातेदारी भूमि में नया खसरा नं. 748/2 रकबा 0.17 बीघा एवं खसरा नं. 740/4 रकबा 1.14 बीघा मय तरमीम लट्ठा नक्शा में दर्ज है।

ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट संख्या एक स्वयं खसरा नं. 740/4 एवं खसरा नं. 748/2 का सहखातेदार दर्ज है तथा उसकी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु मौके पर रास्ता उपलब्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर गौर किये बिना अपीलांट्स की खातेदारी भूमि में सें रास्ते का आदेश पारित कर धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशा के विपरीत उनकी खातेदारी भूमि को दो असमान टुकड़ो में अविभाजित किया जाना पाया जाता हैं। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 21/2017 नारायणराम बनाम खेताराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 24 मार्च 2022 को खसरा नं. 770 एवं 779 के संबंध में निरस्त किया जाता है तथा रेस्पोडेंट संख्या एक के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30.1.24

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर